



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक 1935 (श0)
(सं0 पटना 826) पटना, शुक्रवार, 25 अक्टूबर 2013

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

25 अक्टूबर 2013

एस०ओ० 517 दिनांक 25 अक्टूबर 2013—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची-I में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

संशोधन

2. अनुसूची I के क्रम संख्या 91 के बाद निम्नलिखित नई क्रम संख्या-92 एवं उनकी अनुसारी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, यथा—

“92. आम तौर पर 'खैनी' के नाम से जाना जाने वाला अविनिर्मित तम्बाकू।”

3. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री-कर/विविध-139/2013-3925(अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नरेन्द्र कुमार सिन्हा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

25 अक्टूबर 2013

एस०ओ० 518, एस०ओ० 517, दिनांक 25 अक्टूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/विविध-139/2013-3925(अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नरेन्द्र कुमार सिन्हा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 25th October 2013

S.O. 517 dated 25th October 2013—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment to Schedule I appended to the Act, namely-

Amendment

2. After serial number 91 of Schedule I appended to the Act, the following new serial number 92 and its corresponding entries shall be added, namely-

“92. Unmanufactured tobacco, commonly known as 'Khaini.'”

3. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[File No. Bikri kar/Vividh-139/2013-3925(ANU)]

By order of the Governor of Bihar,

NARENDRA KUMAR SINHA

Commissioner-cum-principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

25 अक्टूबर 2013

एस०ओ० 519, दिनांक 25 अक्टूबर 2013—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची-IV में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

संशोधन

1. अनुसूची IV के क्रम संख्या 7 की अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा—

“तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जिसमें बीड़ी, आम तौर पर 'खैनी' के नाम से जाने जाने वाला अविनिर्मित तम्बाकू तथा बीड़ी के निर्माण में प्रयुक्त अविनिर्मित तम्बाकू शामिल नहीं है।”

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री-कर/विविध-139/2013-3925(अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नरेन्द्र कुमार सिन्हा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

25 अक्टूबर 2013

एस०ओ० 520, एस०ओ० 519, दिनांक 25 अक्टूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/विविध-139/2013-3925(अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नरेन्द्र कुमार सिन्हा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 25th October 2013

S.O. 519, dated 25th October 2013—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in Schedule IV appended to the said Act, namely-

Amendment

1. The corresponding entries of Serial No. 7 of Schedule IV shall be substituted in the following way, namely-

"Tobacco and tobacco products, except biri, unmanufactured tobacco (commonly known as 'Khaini'), and other unmanufactured tobacco used in manufacture of biri."

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[File No. Bikri kar/Vividh-139/2013-3925(ANU)]
By order of the Governor of Bihar,
NARENDRA KUMAR SINHA
Commissioner-cum-principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

25 अक्टूबर 2013

एस०ओ० 521, दिनांक 25 अक्टूबर 2013—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड (ग) सपठित उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ० 24, दिनांक 24 मार्च, 2005, (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

संशोधन

1. विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ० 24, दिनांक 24 मार्च, 2005, (समय-समय पर यथा संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या 7 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा—

"7	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जिसमें बीड़ी, आम तौर पर 'खैनी' के नाम से जाने जाने वाला अविनिर्मित तम्बाकू तथा बीड़ी के निर्माण में प्रयुक्त अविनिर्मित तम्बाकू शामिल नहीं है।	30 प्रतिशत"
----	---	-------------

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री-कर/विविध-139/2013-3925(अनु०)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नरेन्द्र कुमार सिन्हा,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

25 अक्टूबर 2013

एस०ओ० 522, एस०ओ० 521, दिनांक 25 अक्टूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/विविध-139/2013-3925(अनु०)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नरेन्द्र कुमार सिन्हा,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 25th October 2013

S.O. 521, dated 25th October 2013—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (2) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the table appended to Departmental notification No. S.O. 24, dated 24th March, 2005 (as amended from time to time), namely-

Amendment

1. Serial number 7 and its corresponding entries of the Table appended to departmental notification number S.O. 24, dated 24th March, 2005 (as amended from time to time) shall be substituted by the following, namely-

"7	Tobacco and tobacco products, except biri, unmanufactured tobacco (commonly known as "Khaini"), and other unmanufactured tobacco used in manufacture of biri.	30%."
----	---	-------

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.
 [File No. Bikri kar/Vividh-139/2013-3925(ANU)]
 By order of the Governor of Bihar,
 NARENDRA KUMAR SINHA
 Commissioner-cum-principal Secretary,
 Commercial Taxes Department.

25 अक्टूबर 2013

एस०ओ० 523, दिनांक 25 अक्टूबर 2013—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-13 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ० 43, दिनांक 4 मई, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

संशोधन

1. विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ० 43, दिनांक 4 मई, 2006 के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या 7 के स्तम्भ (2) की वर्तमान प्रविष्टियाँ निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा—

“तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जिसमें बीड़ी, आम तौर पर ‘खैनी’ के नाम से जाने जाने वाला अविनिर्मित तम्बाकू तथा बीड़ी के निर्माण में प्रयुक्त अविनिर्मित तम्बाकू शामिल नहीं है।”

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री-कर/विविध-139/2013-3925(अनु०)]
 बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 नरेन्द्र कुमार सिन्हा,
 वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

25 अक्टूबर 2013

एस०ओ० 524, एस०ओ० 523, दिनांक 25 अक्टूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/विविध-139/2013-3925(अनु०)]
 बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 नरेन्द्र कुमार सिन्हा,
 वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 25th October 2013

S.O. 523, dated 25th October 2013—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 13 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment to departmental notification number S.O. 43, dated 4th May, 2006, namely-

Amendment

1. For the present entries in column (2) of serial number 7 of the Table appended to departmental notification number S.O. 43, dated 4th May, 2006 (as amended from time to time), the following entries shall be substituted, namely-

"Tobacco and tobacco products, except biri, unmanufactured tobacco (commonly known as 'Khaini'), and other unmanufactured tobacco used in manufacture of biri."

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[File No. Bikri kar/Vividh-139/2013-3925(ANU)]

By order of the Governor of Bihar,
NARENDRA KUMAR SINHA
*Commissioner-cum-principal Secretary,
Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 826-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>